प्रेस विज्ञप्ति

04-09-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम [पीएमएलए], 2002 के अंतर्गत मेसर्स अरविंद रेमेडीज़ लिमिटेड से जुड़े विभिन्न स्थानों पर 02-09-2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में प्रमोटरों, नकली निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों के चेन्नई, कांचीपुरम, गोवा, कोलकाता और मुंबई स्थित परिसरों को शामिल किया गया। यह अभियान 03-09-2025 तक जारी रहा।

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जाँच शुरू की। यह प्राथमिकी पंजाब नेशनल बैंक [पीएनबी] की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद रेमेडीज़ लिमिटेड और उसके प्रमोटर अरविंद बी शाह और अन्य ने बैंकों के संघ के साथ 637 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। पीएनबी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक, करूर वैश्य बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक जैसे विभिन्न बैंकों के संघ का अग्रणी था, जिसने 704.75 करोड़ रुपये की विभिन्न ऋण सुविधाएँ (नकद ऋण, सावधि ऋण और गैर-निधि आधारित) प्रदान की थीं, जिनमें से 30.09.2016 तक बैंकों के खातों के अनुसार 637.58 करोड़ रुपये बकाया थे। सभी बैंक ऋण खातों को एनपीए घोषित कर दिया गया था।

ईडी की जाँच से पता चला है कि प्रमोटरों द्वारा नियंत्रित फर्जी संस्थाओं के माध्यम से बैंक निधियों की हेराफेरी की गई थी। प्रमोटर अरविंद बी. शाह ने दलालों के माध्यम से कई फर्जी निदेशकों को फर्जी कंपनियों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया था। बैंकों को अधिक टर्नओवर दिखाने और इस तरह बैंकों को अधिक धन उधार देने के लिए प्रेरित करने के लिए बैंक निधियों को फर्जी कंपनियों के बीच घुमाया गया। शेयर की कीमतों में कृत्रिम रूप से हेरफेर करने और लाभ कमाने के लिए भी निधियों का घुमाव किया गया था। निधियों का एक निश्चित हिस्सा संपत्ति अर्जित करने के लिए भी डायवर्ट किया गया था। बैंकों को सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई संपत्तियों को बैंकों की जानकारी के बिना बेच दिया गया और इस प्रकार बैंकों को ऋण की वसूली के लिए संपत्तियों से वंचित कर दिया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, फर्जी निदेशकों ने स्वीकार किया कि उन्हें कंपनी के मामलों की जानकारी नहीं थी और उन्हें दलालों द्वारा नकद में मासिक वेतन दिया जाता था। ऐसे फर्जी निदेशकों ने नाममात्र कमीशन के लिए फर्जी कंपनियों के चेक पर हस्ताक्षर किए, बिना उद्देश्य जाने। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप प्रमोटरों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों/दूर के रिश्तेदारों आदि के नाम पर रखी गई कुछ संपत्तियों [अचल संपत्तियां और शेयर] की पहचान हुई है ताकि बैंकों को ऋण/संपत्तियों की वसूली से रोका जा सके। प्रमोटरों द्वारा धारित विभिन्न सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लगभग 15 लाख शेयर ज़ब्त कर लिए गए हैं। इन संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। कई आपत्तिजनक डिजिटल और दस्तावेज़ी साक्ष्य ज़ब्त किए गए हैं।

आगे की जाँच जारी है।